04.07.2025:—पत्रावली आज वादी अधिवकता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे ली गई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा अपना मूल वादपत्र डिक्री कर लिया गया है। मूल वाद पत्र डिक्री होने के कारण प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त खारिज किया जाकर उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.07.22 14:46:58 IST
Reason: SelfAttested